नगरीय विकास विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक : प.17(5)/नविवि/अभियान/2023 दिनाक– 22 JUN 2023

समस्त
सचिव, विकास प्राधिकरण,
समस्त सचिव, नगर विकास न्यास,
आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,
राजस्थान।

विषयः– विभिन्न विषयों/बिन्दुओं के संबंध में मार्गदर्शन चाहने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह देखा गया है कि प्राधिकरण/न्यासों के अनेक अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों/बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए पत्र विभाग को भेजे जाते है। यह प्रतीत होता है कि ऐसे मार्गदर्शन पत्रों को भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा विभाग द्वारा जारी संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों/स्पष्टीकरण जो विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड किये जाते है एवं प्रशासन शहरों के संग ग्रुप में भी भेजे जाते है तथा मार्गदर्शिकाऐं की पुस्तकों का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया जाता है। न ही मार्ग–दर्शन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज एवं चाहे गये मार्ग–दर्शन से कितने पट्टे प्रभावित हो रहे है आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है ऐसे मार्गदर्शन पत्रों में वर्णित अधिकांश बिन्दुओं से संबंधित प्रावधान/स्पष्टीकरण पूर्व से ही संबंधित नियमों/परिपत्रों में विद्यमान रहते है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा अब तक कुल पांच मार्ग–निर्देशिका, संयुक्त मार्ग–दर्शिका तथा अभियान की दरों में दी गई विभिन्न छूटों के विवरण की पुस्तिकाऐं जारी की है। उक्त पुस्तिकाऐं सभी न्यासों/प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। इन पुस्तकों में विभिन्न कार्यों से संबंधित सभी परिपत्रों/आदेशों/नियमों को संकलित किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में किसी विषय/बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु पत्र भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि पत्र में वर्णित विषय/बिन्दु के संबंध में विभागीय अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों/स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त मार्गदर्शन पत्र में अधिकारियों द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावें कि "अधिनियम/नियम एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये संबंधित आदेश/

परिपत्रों/स्पष्टीकरण में प्रश्नगत मार्गदर्शन पत्र के वर्णित बिन्दु पर कोई आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।"

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्त मार्गदर्शन पत्र में जांच में यदि कोई ऐसा विषय/बिन्दु पाया गया, जिससे संबंधित प्रावधान/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण पूर्व से ही उपलब्ध है, तो ऐसे मार्गदर्शन पत्र प्रेषित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर आरोप पत्र जारी किया जायेगा।

(टी. रविकान्त)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.17(1)/नविवि/अभियान/2021 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि।
7. आयुक्त जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधिपरामर्शी/नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास कार्यवाही हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव– प्रथम